<u>संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024</u>

क्रमांक / 76 /स्टेनो/2025 **नर्मदापुरम, दिनांक :– 23/04/2025**

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 आदेश क्रमांक 169/न्यायालय/2024 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2024, क्रमांक 280/मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम दिनांक 27.06.2024 व क्रमांक 69/स्टेनो/2025 नर्मदापुरम दिनांक 11.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, आदेश क्रमांक 169/न्यायालय/2024 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2024, में निम्नानुसार, आदेश क्रमांक 280/मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम दिनांक 27.06.2024 में कंडिका क्रमांक 7 में निम्नानुसार व आदेश क्रमांक 69/स्टेनो/2025 नर्मदापुरम, दिनांक 11.04.2025 की कंडिका क्रमांक 10 में निम्नानुसार संशोधन कर जोड़ता हूँ जो कि माननीय महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 24.04.2025 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**	**क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र**	**कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ कं. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।**
01.	**02.**	**03.**	**04.**
		सिविल न्यायालय इटारसी	
07.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**	**1. आरक्षी केंद्र इटारसी,** वन विभाग से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **2.** इटारसी क्षेत्राधिकार के आबकारी से उत्पन्न समस्त प्रकरण। **3. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. इटारसी** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	1. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी., आरक्षी केंद्र इटारसी से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन <u>*(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)*</u> का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** Lynching and Mob violence से

			संबंधित प्रकरण। **4.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **05.** <u>तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 के कथन लेखबद्ध किया जाना।</u>
08.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**	**1. आरक्षी केंद्र केसला** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **2. इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित** समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के <u>*(धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोडकर)*</u> आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन। **3.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **4.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। **5.** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के

			विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण *(धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोडकर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **6.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के आपराधिक प्रकरणों के धारा–183 भा.ना.सु.स. के कथन लेखबद्ध किया जाना (स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र केसला को छोडकर) व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स.के कथन लेखबद्ध किया जाना।
10.	**श्री यतिन अग्रवाल**	**1. आरक्षी केंद्र तवानगर** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **2.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। **3. आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **4. आरक्षी केंद्र पथरोटा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	**1.** आरक्षी केंद्र तवानगर, रामपुर गुर्रा व पथरोटा से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोडकर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य और तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** तहसील इटारसी स्थित आरक्षी केंद्र केसला के समस्त आपराधिक प्रकरणों के धारा–183 भा.ना.सु.स के कथन लेखबद्ध किया जाना। **4.** तहसील इटारसी के समस्त आरक्षी

			केंद्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न *(अधिसूचित विशेष महिलाओं से संबंधित अपराध को छोडकर)* प्रकरणों का निराकरण। **5.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।

अनुमोदन हेतु माननीय महोदय की ओर सादर प्रेषित।

23/4/25

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

अनुमोदित।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय / न्यायालय :— मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी—फिरोज अख्तर

क्रमांक / .... / पृ.क्र. / 2025 नर्मदापुरम, दिनॉक 23.04.2025

प्रतिलिपिः—

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी. / एस.टी. एक्ट / एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी / ए.पी.पी नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

23/4/25

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम